**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 12475/2026
CNR: RJHC020762102026 | URN: CRLMB / 23020U / 2026

Naresh Kumar S/o Prem Chand, R/o D.f-397/1, Ward No. 6, Jhirka Ferozepur, District Nuh Mewat

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

---

| | | |
|---|---|---|
| For Petitioner(s) | : | Mr. Swapnil Singh Patel |
| For Respondent(s) | : | Ms. Manju Dave, PP |

---

**HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA**

**Order**

**14/09/2026**

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत पुलिस थाना **भिवाड़ी जिला अलवर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **365/2018** अपराध अंतर्गत धारा 392, 120–बी भारतीय दण्ड संहिता में अग्रिम जमानत की सुविधा दिए जाने की प्रार्थना के साथ यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

बहस सुनी गई। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उसके विरूद्ध प्रकरण में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य नहीं है। उनका तर्क है कि प्रार्थी को केवल सहअभियुक्त के कहने के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है। वर्ष 2018 में जब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई थी, तभी प्रार्थी/ अभियुक्त ने अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए थे। अब पुलिस उसे गिरफ्तार करने जा रही है। उनका तर्क है कि प्रार्थी को जुबान का कैंसर हो गया था, जिसके कारण उसकी जुबान का कुछ भाग हटाया भी जा चुका है। वह ठीक से बोल भी नहीं सकता है। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त अनुसंधान में भाग लेने के लिए तत्पर है, अतः उसे अग्रिम जमानत की सुविधा दी जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी ने लूट का सामान प्राप्त किया है। पूर्व में उसके फरार हो जाने के कारण उससे किसी प्रकार का अनुसंधान भी नहीं किया जा सका था। अब उसे मफरूर घोषित कर उसका स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट जारी हो चुका है तथा उसके विरूद्ध धारा 299 दण्ड प्रक्रिया संहिता में आरोप–पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अतः उसे अग्रिम जमानत की सुविधा नहीं दी जाए।

हमने तर्क–वितर्क पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग है कि उसने परिवादिया से लूट की गई चैन को क्रय किया है। अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वह अपनी सकूनत से वर्ष 2018 से अब तक रूहपोश रहा हैं। प्रार्थी के अनुसंधान में भाग नहीं लेने के कारण धारा 37 पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उसका गिरफ्तारी वारंट न्यायालय से प्राप्त किया गया। तत्पश्चात् मफरूरी की कार्यवाही की जाकर अब उसका मफरूरी/स्थाई गिरफ्तारी वारंट (Standing Warrant) जारी हो चुका है। स्पष्ट है कि अभियुक्त ने न्यायालय के गिरफ्तारी वारण्ट की अवहेलना की है और उसके बावजूद भी उपस्थित नहीं हुआ है, इसी कारण उसके सम्बन्ध में मफरूरी की कार्यवाही की गई है।। उसके विरूद्ध धारा 299 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत अपराध अंतर्गत धारा 392 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप प्रमाणित पाते हुए आरोप–पत्र संख्या 478ए–08.08.2026 किता किया जाना भी अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है, ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि उसे अपराध में मिथ्या संलिप्त किया जा रहा हो।

अतः प्रकरण की समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

परिणामस्वरूप यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

60/AJAY KUMAR SINGHAL